भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2766
सोमवार, 21 मार्च, 2022/30 फाल्गुन, 1943 (शक)

बेरोजगारी पेंशन

2766. प्रो. सौगत रायः
श्री एस. ज्ञानतिरावियमः
डॉ. आलोक कुमार सुमनः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी पेंशन शुरू करने का कोई विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश के किसी राज्य में ऐसी पेंशन योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में तमिलनाडु और अन्य राज्यों में ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट कुशल, अर्धकुशल और अकुशल बेरोजगारों की संख्या कितनी है और इन बेरोजगार युवाओं को संवहनीय रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;

(घ) क्या केंद्र सरकार ने देश में बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए तमिलनाडु और अन्य राज्यों के बेरोजगार युवाओं के लिए कोई विशेष पैकेज बनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) क्या सरकार देश में बेरोजगार युवाओं का अपने स्थान से पलायन रोकने के लिए बुनकरों, जुलाहों, लोहारों, लकड़ी के कामगारों, कुम्हारों, मधुमक्खी पालकों, चर्म शिल्पियों इत्यादि पारंपरिक कारीगरों सहित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने की कोई योजना चला रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) एवं (ख): बेरोजगारी पेंशन का ऐसा कोई प्रस्ताव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के विचारार्थ नहीं है। तथापि, कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के तहत शामिल कर्मचारी बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र हैं। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) और राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (आरजीएसकेवाई) नामक दो बेरोजगारी भत्ता योजनाएं हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा बेरोजगार हुए बीमित व्यक्तियों (आईपी) को राहत प्रदान करने के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए पायलट आधार पर 01.07.2018 से अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को शुरू किया गया था। इस योजना को 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

बेरोजगारी पेंशन योजना के राज्य-वार ब्यौरे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ग) से (ङ): 2019-20 की नवीनतम वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य स्थिति आधार दृष्टिकोण के अनुसार, विभिन्न सामान्य शिक्षा स्तर के 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करती है एवं उन्हें और अधिक कामगारों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है। 28.02.2022 तक 1.33 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 50.81 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत, सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत 04.03.2022 तक 33.91 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए।

सरकार ने 20 जून, 2020 को 125 दिनों का गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) शुरू किया था ताकि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 6 राज्यों के 116 चयनित जिलों में वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों तथा इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं सहित प्रभावित व्यक्तियों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके। इस अभियान से 39,293 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ 50.78 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजन हुआ है।

पीएम गतिशक्ति आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण सात इंजनों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित है। यह दृष्टिकोण स्वच्छ ऊर्जा और सबके प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के विशाल अवसर पैदा होते हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर सतत ध्यान देने के मद्देनजर रेलवे, सड़क, शहरी परिवहन, विद्युत, दूरसंचार, कपड़ा और किफायती आवास पर बल दिया है। बजट 2021-22 द्वारा 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई है। इन सभी पहलों से गुणक-प्रभावों के माध्यम से सामूहिक रूप से रोजगार का सृजन करने तथा मध्यम से लंबी अवधि में उत्पादन को बढ़ावा देना अपेक्षित है।

भारत सरकार पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है जिसमें रोजगार सृजन हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) एवं पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय करना शामिल है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारों जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रति उन्मुख हैं।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 21.03.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2766 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2019-20 के दौरान विभिन्न सामान्य शिक्षा स्तर के 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति दृष्टिकोण के अनुसार बेरोजगारी दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा (पीएलएफएस)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सामान्य शिक्षा स्तर (प्रतिशत में)									
	निरक्षर	साक्षर व प्राथमिक तक	माध्यमिक	सेकेंडरी	उच्चतर माध्यमिक	डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	स्नातक	स्नातकोत्तर व उससे अधिक	सेकेंडरी एवं उससे अधिक	सभी (एन.आर सहित.)
आंध्र प्रदेश	0.2	0.0	0.6	3.2	7.3	16.7	24.5	28.7	13.6	4.7
अरुणाचल प्रदेश	0.2	1.4	4.0	9.8	10.5	0.0	23.9	36.5	15.7	6.7
असम	0.6	2.5	10.5	7.3	14.9	4.0	20.1	6.6	13.5	7.9
बिहार	2.5	2.4	5.0	3.9	6.6	84.9	19.9	12.3	10.0	5.1
छत्तीसगढ	0.1	1.1	2.3	2.1	6.6	34.1	17.8	12.7	8.5	3.3
दिल्ली	1.9	1.3	6.7	5.4	10.1	14.6	13.5	16.1	11.5	8.6
गोवा	0.0	0.8	6.9	6.7	11.6	14.8	15.0	15.3	11.6	8.1
गुजरात	0.3	0.8	1.6	1.7	3.5	5.2	5.3	8.8	3.9	2.0
हरियाणा	3.1	1.1	3.8	6.1	10.6	13.1	13.4	8.9	9.7	6.4
हिमाचल प्रदेश	0.0	0.1	1.0	0.9	4.5	10.8	17.9	10.8	6.5	3.7
झारखंड	0.3	2.0	4.8	6.2	9.1	24.7	14.0	14.3	9.6	4.2
कर्नाटक	0.0	0.1	1.7	3.0	3.5	9.9	19.8	10.4	9.1	4.2
केरल	0.6	1.1	3.1	6.5	17.5	13.8	28.2	24.2	16.7	10.0
मध्य प्रदेश	0.2	1.8	2.9	2.5	4.6	17.1	14.7	6.3	7.1	3.0
महाराष्ट्र	0.2	1.2	2.1	2.5	6.3	10.9	8.6	2.5	5.6	3.2
मणिपुर	0.7	2.1	5.6	7.7	12.9	9.4	18.2	21.3	14.2	9.5
मेघालय	0.0	0.1	0.5	3.8	10.0	5.9	16.6	19.7	10.9	2.7
मिजोरम	0.0	0.1	2.2	2.2	12.7	0.0	14.3	22.3	11.6	5.7
नागालैंड	0.0	6.3	20.4	26.7	34.3	34.5	46.3	56.0	36.6	25.7
ओड़िशा	0.1	1.3	5.1	10.7	16.9	28.4	25.3	10.5	16.9	6.2
पंजाब	1.4	3.5	4.5	5.3	15.8	16.4	14.5	14.1	11.7	7.3
राजस्थान	0.7	2.2	2.5	3.0	5.4	14.1	22.8	16.9	11.7	4.5
सिक्किम	0.4	0.1	0.1	1.8	5.3	13.9	11.1	2.1	5.9	2.2
तमिलनाडु	0.2	0.2	2.4	3.2	6.2	16.4	20.6	13.5	11.7	5.3
तेलंगाना	0.2	1.2	3.4	4.4	9.7	12.8	26.9	24.6	14.0	7.0
त्रिपुरा	0.0	0.6	3.1	4.4	6.6	16.3	13.8	5.6	8.3	3.2
उत्तराखंड	0.4	3.4	3.5	4.5	13.8	22.0	21.9	8.3	12.6	7.1
उत्तर प्रदेश	0.7	2.8	3.3	3.5	6.3	21.2	15.6	10.6	8.7	4.4
पश्चिम बंगाल	0.7	1.4	4.9	5.8	9.1	13.9	15.2	11.5	10.1	4.6
अंडमान और एन द्वीप	0.0	0.5	5.0	14.4	29.4	19.7	29.8	18.9	23.2	12.6
चंडीगढ़	4.1	6.2	5.6	8.9	10.5	0.0	3.0	8.2	6.9	6.3
दादरा और नगर हवेली	0.0	0.0	0.5	3.2	4.1	3.2	8.6	17.3	6.7	3.0
दमन और दीव	0.0	0.0	2.2	3.8	7.8	5.6	3.4	0.0	4.5	2.9
जम्मू और कश्मीर	0.4	0.4	2.5	5.2	14.6	49.6	21.9	21.2	14.6	6.7
लद्दाख	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1
लक्षद्वीप	0.0	3.1	4.6	7.6	27.8	29.3	35.2	0.0	20.3	13.7
पुदुचेरी	0.0	0.0	5.4	2.6	9.1	10.1	19.8	8.4	10.5	7.6
अखिल भारतीय	**0.6**	**1.4**	**3.4**	**4.1**	**7.9**	**14.2**	**17.2**	**12.9**	**10.1**	**4.8**

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट पीएलएफएस, *2019-20;* सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय